भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2180

(दिनांक 12.03.2020 को उत्तर के लिए)

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में आरक्षण

2180. श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार में अब भी अनुकंपा के आधार पर कितने रिक्त पदों को भरा जाना है;

(ख) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या अनुकंपा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : मौजूदा अनुदेशों के अनुसार समूह 'ग' पदों में किसी वर्ष में होने वाली सीधी भर्ती की रिक्तियों के अधिकतम 5 प्रतिशत तक पदों को अनुकंपा नियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है। अनुकंपा के आधार पर वार्षिक रूप से भरे जाने वाले पदों का कोई नियत कोटा नहीं है क्योंकि अनुकंपा नियुक्तियां रिक्तियों की उपलब्धता, अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों की संख्या आदि के अध्यधीन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित सामान्य नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जानी होती हैं।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां करने हेतु विचाराधीन मामलों और उनके द्वारा पहले की गई नियुक्तियों से संबंधित ब्यौरे का केंद्रीय रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) : अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु चयनित किसी व्यक्ति को उपयुक्त श्रेणी के विरुद्ध आरक्षण रोस्टर में समायोजित किया जाना होता है अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य श्रेणी से संबंधित कोई उम्मीदवार रोस्टर में संबंधित श्रेणी को आबंटित पद धारण करेगा।

****